"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 559] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 29 अक्टूबर 2020 — कार्तिक 7, शक 1942

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 13 अक्टूबर 2020

अधिसूचना
सं. 67/2020 – राज्य कर

क्रमांक एफ 10-78/2020/वाक/पांच(108).— छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 7) (जिसे (जिसे इसके पश्चात इस अधिसूचना में उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 128 के साथ पठित धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफारिशों पर, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ शासन के वाणिज्यिक कर विभाग की अधिसूचना सं .73/2017-एफ क्रमांक कर राज्य-10-98/2017)पांच/वाक/1872 दिनांक (9 दिसंबर ,2017 जिसे छत्तीसगढ़ के राजपत्र क्रमांक ,में (असाधारण)581 तारीख 30 दिसंबर201 ,7 द्वारा प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:–

उक्त अधिसूचना में:-

दूसरे परंतुक के पश्चात निम्नलिखित परंतुक को अंत:स्थापितकिया जाएगा, अर्थात्:-

"परंतु यह भी कि उन रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के लिए, जो कि जुलाई, 2017 से मार्च, 2019 तक की तिमाहियों से संबंधित प्ररूप प्ररूप जीएसटीआर–4 में नियत तारीख तक विवरणी प्रस्तुत नहीं कर पाये थे, लेकिन उक्त विवरणी को समयावधि सितंबर, 2020 के 22वें दिन से अक्टूबर, 2020 के 31वें दिन तक प्रस्तुत करते है, उक्त अधिनियम की धारा 47 के प्रावधानों के अधीन देय विलंब फीस को दो सौ पचास रूपये से अधिक अधित्यजन किया जाता है, और उन करदाताओं के लिए देय विलंब फीस को को पूर्ण रूप से अधित्यजन किया जाता है जिनके लिए कुल देय राज्य कर की राशि शून्य है।"

2. यह अधिसूचना 21 सितम्बर ,2020 से प्रभावशील मानी जाएगी ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनिंदर कौर द्विवेदी, प्रमुख सचिव.

अटल नगर, दिनांक 13 अक्टूबर 2020

क्रमांक एफ 10-78/2020/वाक/पांच(108.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 10-78/2020/वाक/पांच(108), दिनांक 13-10-2020 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल राज्यपाल के प्राधिकार से, एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनिंदर कौर द्विवेदी, प्रमुख सचिव.

Atal Nagar, the 13th October 2020

NOTIFICATION
No. 67/2020 – State Tax

No. F 10-78/2020/CT/V(108).— In exercise of the powers conferred by section 128 of the Chhattisgarh Goods and Services Tax Act, 2017 (7 of 2017) (hereafter in this notification referred to as the said Act), read with section 148 of the said Act, the Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the Notification No. 73/2017-State Tax, No. F-10-98/2017/CT/V(187), Chhattisgarh Commercial Tax Department, dated the 29th December, 2017, published in the Gazette (Extraordinary) of Chhattisgarh, No. 581, dated the 30th December, 2017, namely :–

In the said notification: -

after the second proviso, the following proviso shall be inserted, namely: –

"Provided also that late fee payable under section 47 of the said Act, shall stand waived which is in excess of two hundred and fifty rupees and shall stand fully waived where the total amount of state tax payable in the said return is nil, for the registered persons who failed to furnish the return in FORM GSTR-4 for the quarters from July, 2017 to March, 2019 by the due date but furnishes the said return between the period from 22nd day of September, 2020 to 31st day of October, 2020.".

2. This notification shall be deemed to have come in to force on 21st September 2020.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
MANINDER KAUR DWIVEDI, Principal Secretary.

अटल नगर, दिनांक 13 अक्टूबर 2020

अधिसूचना
सं. 68/2020 – राज्य कर

क्रमांक एफ 10-78/2020/वाक/पांच(109).— छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 7) (जिसे (जिसे इसके पश्चात इस अधिसचूना में उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 128 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफारिशों पर, राज्य सरकार, उन रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के लिए, जो कि नियत तारीख तक प्ररूप जीएसटीआर-10 में विवरणी प्रस्तुत नहीं करते हैं, लेकिन वे उक्त विवरणी को समयावधि सितंबर 2020 के 22वें दिन से दिसंबर, 2020 के 31वें दिन तक प्रस्तुत करते हैं, उक्त अधिनियम की धारा 47 के प्रावधानों के अधीन देय विलंब फीस को दो सौ पचास रूपये से अधिक अधित्यजन किया जाता है ।

2. यह अधिसूचना 21 सितम्बर ,2020 से प्रभावशील मानी जाएगी ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनिंदर कौर द्विवेदी, प्रमुख सचिव.

अटल नगर, दिनांक 13 अक्टूबर 2020

क्रमांक एफ 10-78/2020/वाक/पांच(109).— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 10-78/2020/वाक/पांच(109), दिनांक 13-10-2020 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से, एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनिंदर कौर द्विवेदी, प्रमुख सचिव.

Atal Nagar, the 13th October 2020

NOTIFICATION
No. 68/2020 – State Tax

No. F 10-78/2020/CT/V(109) .— In exercise of the powers conferred by section 128 of the Chhattisgarh Goods and Services Tax Act, 2017 (7 of 2017) (hereafter in this notification referred to as the said Act), the Government, on the recommendations of the Council, hereby waives the amount of late fee payable under section 47 of the said Act which is in excess of two hundred and fifty rupees, for the registered persons who fail to furnish the return in FORM GSTR-10 by the due date but furnishes the said return between the period from 22nd day of September, 2020 to 31st day of December, 2020.".

2. This notification shall be deemed to have come in to force on 21st September 2020.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
MANINDER KAUR DWIVEDI, Principal Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित – 2020.